सं0 फा0 1(16)-ई III(बी)/70

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, 20th फरवरी, 1971.

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- सरकारी कर्मचारियों का स्वायत्त संगठनों में स्वीयेतर सेवा में प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण - संगठनों में उन को स्थायी तौर पर रखे लिये जाने पर छुट्टियों का अन्तरण ।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मूल नियम 122 के अनुसार स्वीयेतर सेवा (foreign service on deputation) में प्रतिनियुक्त कोई भी सरकारी कर्मचारी स्वीयेतर सेवा की अवधि में उस सेवा में लागू छुट्टी नियमों से नियमित होता है और स्वीयेतर नियोक्ता (foreign employer) द्वारा भारत सरकार को समय समय पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर छुट्टी के वेतन के अंशदान की अदायगी होनी होती है। ऐसे कोई नियम अथवा आदेश नहीं है जिनके अनुसार, जब प्रतिनियुक्त सरकारी कर्मचारी किसी स्वायत्त संगठन में स्थायी तौर से ले लिया जाय तब वह अपने खाते बाकी उपलब्ध छुट्टियों को साथ ले जा सके, और परिणामत: ऐसे कर्मचारी के स्थायी तौर स्वीयेतर सेवा में लिये जाने की तारीख से उसके खाते जमा छुट्टियां व्यपगत हो जाती हैं। यह मामला, अर्थात् पूर्णत: अथवा मुख्यत: सरकार द्वारा स्वाधिकृत अथवा नियन्त्रित सांविधिक निकायों/स्वायत्त संगठनों में सरकारी कर्मचारियों को स्थायी रूप से ले लिये जाने पर खाते जमा छुट्टियों का लाभ साथ ले जाने की अनुमति देने का प्रश्न पिछले कुछ समय से सरकार के विचाराधीन था। राष्ट्रपति जी ने अब निर्णय किया है कि जो प्रतिनियुक्त सरकारी कर्मचारी सरकार द्वारा स्वाधिकृत अथवा नियन्त्रित सांविधिक निकाय अथवा संगठन में स्थायी रूप से ले लिये जाने का विकल्प देता है, उसके

(कृ0 पृ0 उ0)

में उसकी सेवाओं को स्थायी तौर से लेने वाला निकाय अथवा संगठन, उस कर्मचारी के सरकारी नौकरी छोड़ने के समय उसके हिसाब में जमा औसत वेतन छुट्टी/अर्जित छुट्टी की जिम्मेदारी लेगा और इसके बदले सरकार उस सांविधिक निकाय/स्वायत संगठन को उक्त कर्मचारी की सेवाएं उस निकाय/संगठन में स्थायी रूप से लिये जाने की तारीख को कर्मचारी को प्राप्य औसत वेतन छुट्टी/अर्जित छुट्टी के सम्बन्ध में छुट्टी के वेतन के बराबर रकम की एकमुश्त अदायगी करेगी । सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालय/संवर्ग प्राधिकारी को चाहिये कि स्वायत संगठनों में स्थायी तौर से लिये जाने का विकल्प देने से पूर्व जाने वाले कर्मचारी के सम्बन्ध में अन्तिम आदेश जारी करते समय सरकार द्वारा छुट्टी के वेतन के बराबर रकम की एकमुश्त अदायगी की जाने की व्यवस्था भी उस आदेश में शामिल कर दे ।

2. उपर्युक्त लाभ केवल उन मामलों में ही दिया जायेगा जहां सरकारी सेवा से सांविधिक निकाय/स्वायत संगठन में स्थायी स्थानान्तरण लोक हित में हो । ये आदेश जारी होने की तारीख से लागू होंगे और जिन मामलों में अन्यथा निर्णय हो चुका हो, उनका पुनर्विचार नहीं किया जायगा ।

3. जहां तक भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग में काम कर रहे कर्मचारियों का सम्बन्ध है यह आदेश भारत के नियन्त्रक तथा महा लेखा परीक्षक के साथ परामर्श कर के जारी किये गये है ।

कृपा सिंह

उप सचिव भारत सरकार.

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों आदि आदि को प्रेषित ।

1. भारत के नियन्त्रक तथा महा लेखा परीक्षक को प्रतिलिपि प्रेषित ।
2. संघ लोक सेवा आयोग को प्रतिलिपि प्रेषित।
3. मुख्य चुनाव आयोग को प्रतिलिपि प्रेषित ।
4. लोक सभा सचिवालय को प्रतिलिपि प्रेषित ।
5. राज्य सभा सचिवालय को प्रतिलिपि प्रेषित ।
6. भारत का सर्वोच्च न्यायालय को प्रतिलिपि प्रेषित।
7. वेतन आयोग को प्रतिलिपि प्रेषित ।

--

(प,स-3, ब)